—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 41 / 2025

उनवान

1. कालू पुत्र ईदूखां
2. बशीर पुत्र जाति पीनारा मुसलमान निवासी पारली तहसील मालपुरा जिला टोंक

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. फैजान पुत्र फकरूदीन जाति मुसलमान निवासी 194 / 92 प्रतापनगर, सेक्टर 11, सांगानेर जयपुर,
2. उप पंजीन अधिकारी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

4. सुकरी बानो पत्नि रमजान,
5. फरजाना बानो पुत्री रमजान,
6. बानो पुत्री रमजान,
7. शरीफ पुत्र रमजान,
8. हसीना बानो पुत्री रमजान,
9. सादिक पुत्र रमजान जाति पीनारा मुसलमान निवासी पारली तह. मालपुरा जिला टोंक ,

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 4, 5, 7 व 8 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
6 व 9 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 28.10.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार हल्का मोराझडी की निम्न आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की कयशुदा खातेदारी / काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
161 / 151	363	0.51
	364	0.50
	365	0.68
	367	0.51

उपरोक्त आराजी आधार जमाबंदी सम्वत् 2059 में खातेदार जंवरी पुत्र मिश्री के नाम खातेदारी दर्ज थी, जिसके द्वा[illegible] आराजी जरियें [illegible] पत्र दिनांक 27.12.18 को वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज रमजान [illegible] कर कब्जा सूपूर्द कर दिया था। विक्रेता जंवरी की मृत्यु हो [illegible] की भी मृत्यु हो गयी है। केता रमजान की भी मृत्यु हो गयी है, जिसके वारिस [illegible] प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ही है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय वादी द्वारा क[illegible] आराजी को पुनः शून्य विकय पत्र द्वारा 22.2.2022 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा स्वयं के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विक्रय पत्र अनुसार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की क्रयशुदा है। वादी ने मिथ्या कथनों पर उक्त वाद पेश किया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 व 8 ने जवाब पेश कर वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की विधिक क्रयशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 363 रकबा 0.51, 364 रकबा 0.50, 365 रकबा 0.68 व 367 रकबा 0.51 की आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से 67/111 अर्थात 0.6639 है. तत्कालीन खातेदार जंवरी पुत्र मिश्री ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2018 को रमजान कालू, बशीर पि. ईदु को बैचान कर कब्जा व दखल संभला दिया था। आधार जमाबंदी सम्वत् 2059 से 2078 में आराजी मुतनाजा जवंरी व भूरा पि. मिश्री के नाम खातेदारी दर्ज है। तत्कालीन खातेदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आराजी मुतनाजा का बेचान किया गया है। विक्रेता विक्रय दिनांक को आराजी मुतनाजा का खातेदार था। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वाद के तथ्यों का ठोस खण्डन पत्रावली में नही है। आराजी मुतनाजा वादी के पूर्वज की विधिक क्रयशुदा है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

तनकी संख्या 1 के अनुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 363 रकबा 0.51, 364 रकबा 0.50, 365 रकबा 0.68 व 367 रकबा 0.51 की आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा में से 67/111 अर्थात 0.6639 है. तत्कालीन खातेदार जंवरी पुत्र मिश्री ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2018 को रमजान कालू, बशीर पि. ईदु को बैचान किया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही होने के कारण जवंरी पुत्र मिश्री की पत्नी [illegible] उर्फ जवरी उर्फ जोहरी द्वारा उक्त आराजी के साथ अन्य आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा फैजान पुत्र फखरूददीन को बेचान कर दिया था। जिसके आधार पर आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। तत्कालीन खातेदार द्वारा पूर्व में भूमि का 67/1111 हिस्सा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज को बैचान कर दिया था। अतः प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

विक्रय पत्र के आधार पर आराजी मुतनाजा में विक्रेता के 67/111 हिस्से का खातेदार प्रथम क्रेतागण को दर्ज किया जाना चाहिये। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर 67/111 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 363 रकबा 0.51, 364 रकबा 0.50, 365 रकबा 0.68 व 367 रकबा 0.51 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के 67/111 हिस्से पर वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कालू बनाम फैजान

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 41/2025
पेश करने की दिनांक – 05.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत रावत मुद्दई रणजीत रावत, फारूक खत्री व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 363 रकबा 0.51, 364 रकबा 0.50, 365 रकबा 0.68 व 367 रकबा 0.51 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के 67/111 हिस्से पर वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 10 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.30 12:33:12 IST
Reason: SelfAttested